उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

राज्य सात वाद संख्या– 20/2013
राज्य बनाम संजय रवानी

	–: आदेश :–	
22-11-13	यह वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 456/आ0 दिनांक 05.06.2013 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A के अन्तर्गत राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया एवं धारा–6B के अन्तर्गत विपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी दिनांक 26.07.2013 को न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किया। विपक्षी का कहना है कि विपक्षी के पिता श्री जगदीश प्रसाद को कृषि उत्पादन बाजार समिति से लाईसेंस प्राप्त थोक बिक्रेता हैं एवं उनके द्वारा यह चावल खुले बाजार से खरीदकर व्यापार हेतु लाया गया था, जिसका भण्डार पंजी कृषि उत्पादन बाजार समिति द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति सं0–08/12–13 प्राप्त है। मेरे पिता के व्यापार से मुझे कोई लेना–देना नहीं है। मेरा जन वितरण प्रणाली की दुकान पिताजी के व्यापार स्थल से अलग कमरे में है। निरीक्षण की तिथि को उपलब्ध भण्डार पंजी में दर्ज भण्डार के अनुरूप है। जिससे स्पष्ट है कि मेरे द्वारा कोई कालाबाजारी नहीं की गई है। अन्त में अनुरोध किया गया कि राज्यसात की कार्रवाई को समाप्त करते हुए जप्त चावल को मुक्त किया जाय। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 456/आ0 दिनांक 05.06.2013, विपक्षी के द्वारा दिनांक 26.07.2013 को दाखिल कारण पृच्छा, जप्ती सूची एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 26.05.2013 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री संजय रवानी, पिता श्री जगदीश रवानी, अनुज्ञप्ति संख्या–103/95 के आवास, स्टेशन रोड़, पतरातु पर दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इनके आवासीय परिसर में सरकारी खाद्यान्न, जिसे जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लाभूकों को वितरित किया जाता है, की रि–पैकेटिंग कर विभिन्न ब्राण्डों यथा–गणेश भोग चावल के नाम से 25–25 कि0ग्रा0 के बोरों में भर कर स्थानीय बाजार में बेचा जाता था। इस क्रम में उनके आवास के बाहर एक 407 ट्रक (संख्या–BR-2K-7999) जिसमें लगभग 200 बोरा (25–25 कि0ग्रा0 का) चावल लदा हुआ था, उसे जप्त किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 456/आ0 दिनांक 05.06.2013 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जप्त लगभग 200 बोरा (25–25 कि0ग्रा0 का) चावल को राज्यसात किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, रामगढ़। उपायुक्त, रामगढ़।	